बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमण्डल, भागलपुर।

सुन्दरवन, हनुमान घाट, बरारी रोड, भागलपुर पिन–812003
दूरभाष संख्या 0641 2611032, ई मेल– divfobhagalpur-bih@nic.in, dfobhagalpur@gmail.com

पत्रांक– 316 भागलपुर, दिनांक– 04/03/2022

प्रेषक,

भरत चिन्तपल्लि "भा0व0से0",
वन प्रमंडल पदाधिकारी
भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार पटना।

विषय :– राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–80 के घोरघट से दोगच्छि तक पथों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने हेतु पातित/प्रतिस्थापित किये जाने वाले पेड़ों का वृक्ष सुरक्षा योजना के तहत् क्षेत्रीय सक्षम समिति की बैठक की कार्रवाई की प्रति भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–80 के घोरघट से दोगच्छि तक पथों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव जिसमें पातित/प्रतिस्थापित किये जाने पेड़ों का संयुक्त गणना सूची एवं प्रस्ताव वन संरक्षक भागलपुर अंचल, भागलपुर के पत्रांक– 58 दिनांक–25.01.22 द्वारा भवदीय के कार्यालय में भेजी गई थी।

वृक्ष सुरक्षा योजना के तहत् राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–80 के घोरघट से दोगच्छि तक का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में पातित/प्रतिस्थापित किये जाने वाले पेड़ों का संयुक्त गणना सूची क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर को क्षेत्रीय सक्षम समिति की बैठक में आवश्यक निर्णय लेने हेतु दिनांक–03.03.2022 को भेजी गई। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक भागलपुर के कार्यालय से दिनांक–04.03.2022 को क्षेत्रीय सक्षम समिति की बैठक की कार्रवाई कि प्रति प्राप्त हुई है, जिसे पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0–यथो0

विश्वासभाजन
4/3/22

(भरत चिन्तपल्लि)
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर।

आज दिनांक 04.03.2022 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–03 दिनांक–01.10.2019 के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के कार्यालय आदेश संख्या–39 सह पठित ज्ञापांक–974(ई0) दिनांक–26.07.2019 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन पेड़ों के पुर्नस्थापन/पातन हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वृक्ष सुरक्षा योजना पर विचारोपरान्त निर्णय लेने हेतु गठित क्षेत्रीय सक्षम समिति की भागलपुर में अध्यक्ष–सह–क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर
2. वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर

सर्वप्रथम क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर–सह–अध्यक्ष द्वारा गठित समिति के समक्ष इस संबंध में प्राप्त निदेशों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर–सह–सदस्य सचिव द्वारा क्षेत्रीय सक्षम समिति के समक्ष बताया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या– 80 के पथांश कि0मी0 93.000 (घोरघट) से कि0मी0 121.025 (दोगच्छि), भागलपुर जिला के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् कार्य में बाधा पहुँचाने वाले कुल 3903 (तीन हजार नौ सौ तीन) जीवित पेड़ हैं, जिसमें पातित होने वाले पेड़ों की संख्या 1923 (एक हजार नौ सौ तेईस) तथा प्रतिस्थापित होने वाले पेड़ो की संख्या 1980 (एक हजार नौ सौ अस्सी) हैं। उक्त सभी पेड़ों की संयुक्त गणना वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, भागलपुर एवं सहायक अभियंता, रा०उ०प० अवर प्रमंडल, सुल्तानगंज के द्वारा की गयी है। वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 06.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है एवं उनके पत्रांक 305 दिनांक–03.03.2022 से वृक्ष सुरक्षा योजना समर्पित की गयी है, जिसे समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया।

सदस्य सचिव द्वारा निम्नांकित तथ्यों को भी समिति के समक्ष रखा गया।

1. वृक्ष सुरक्षा योजना के प्रस्ताव निर्माण के दौरान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्थल पर सर्वेक्षण में विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे हैं। दिनांक–06.12.2021 को वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा भी स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया एवं कुल 3903 (तीन हजार नौ सौ तीन) जीवित पेड़ पाया गया, जिसमें पातित होने वाले पेड़ों की संख्या 1923 (एक हजार नौ सौ तेईस) तथा प्रतिस्थापित होने वाले पेड़ों की संख्या 1980 (एक हजार नौ सौ अस्सी) है।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि वृक्ष सुरक्षा योजना के तहत उन्हीं वृक्षों के पातन का प्रस्ताव है, जिनका Traslocation विभिन्न कारणों से संभव नहीं है।

क्षेत्रीय सक्षम समिति के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या– 80 के पथांश किमी० 93.000 (घोरघट) से किमी० 121.025 (दोगच्छि), भागलपुर जिला के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् समर्पित प्रस्ताव से संबंधित संलग्न वृक्ष सुरक्षा योजना पर सहमति दी जाती है। समिति की बैठक की कार्यवाही से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को अवगत कराने हेतु सदस्य सचिव–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल को अधिकृत किया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सदस्य सचिव –सह– वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर।	सदस्य–सह– वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर।	अध्यक्ष–सह– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर।

निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना की अध्यक्षता में गठित समीति द्वारा दिनांक 25.02.2022 को मुंगेर जिलान्तर्गत NH-80 मुंगेर–बरियारपुर से सुलतानगंज (70.150 to 121.025 Km) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य से प्रभावित होने वाले/ Transplant किये जाने वाले/ पातित किये जाने वाले वृक्षों का गणना पत्रक (Tree Protection) के करने में बाधक वृक्षों के विस्थापन/ पुनर्स्थापन/ पातन के संबंध में Online हुई बैठक का कार्यवाही:–

मुंगेर जिलान्तर्गत NH-80 मुंगेर–बरियारपुर से सुलतानगंज (70.150 to 121.025 Km) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य से प्रभावित होने वाले/Transplant किये जाने वाले/पातित किये जाने वाले वृक्षों का गणना पत्रक (Tree Protection) प्रयोक्ता एजेन्सी (राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, लखीसराय–सह–मुंगेर) द्वारा प्राप्त हुआ है। समर्पित प्रस्ताव के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 03 सह पठित ज्ञापांक 673 दिनांक 01.09.2019 द्वारा गठित समिति से निर्णय कराने का अनुरोध किया गया है।

संलग्न प्रस्ताव में NH-80 मुंगेर–बरियारपुर से सुलतानगंज (70.150 to 121.025 Km) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य से प्रभावित होने वाले/Transplant किये जाने वाले/पातित किये जाने वाले कुल 2114 वृक्षों की गणना की गई है। प्रस्तावित पथ में मुंगेर– मिर्जाचौकी फोरलेन के पूर्व प्रस्तावित पथ का भी कुछ भाग सम्मिलित है जिसका वृक्ष सुरक्षा प्रस्ताव अलग से समर्पित है। अतः ऐसे वृक्षों की गणना इस प्रस्ताव में शामिल न करते हुए 1185 वृक्षों के वृक्ष सुरक्षा प्रस्ताव को समर्पित किया गया है जिस पर निर्णय लिया जाना है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा समर्पित वृक्ष सुरक्षा प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

Sl. No.	Location	Tree to be translocated	Tree to be felled	Trees left as it is	Total Trees
1	Right Side (70.150 to 121.025)	425	185	0	610
2	Left Side (121.025 to 70.150)	379	196	0	575
	Total:-	804	381	0	1185

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि :–

1. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 804 जीवित वृक्षों का पुनर्स्थापन प्रयोक्ता एजेन्सी के स्वयं के व्यय पर चिन्हित स्थल पर किया जायेगा एवं अगले तीन वर्षों तक इसका रख–रखाव कार्य किया जायेगा।

2. पातित किये जाने वाले 381 वृक्षों के पुनर्स्थापन के फलस्वरूप जीवित रहने की संभावना नहीं है अतः इन 381 पौधों के पातन का निर्णय लिया गया। पातित वृक्षों के बदले 800 नये पौधों का उपयुक्त स्थल पर वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक रख–रखाव का कार्य हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके लिये प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त निर्णय के साथ बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गई।

(गौरव ओझा)	(सुधीर कुमार)	(सुरेन्द्र सिंह)
वन प्रमंडल पदाधिकारी,	वन संरक्षक,	निदेशक, पारि. एवं पर्या.
मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर	वन्यप्राणी अंचल, पटना	

ज्ञापांक:– पारि. एवं पर्या. 01 स्था. (वन भूमि एवं सरकारी गैर भूमि) 11/19– 271 दिनांक:–04-03-22

प्रतिलिपि– प्रयोक्ता एजेन्सी (कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल, मुंगेर) की अतिरिक्त प्रति के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र की प्रति अपने स्तर से प्रयोक्ता एजेंसी को उपलब्ध करा देगें तथा प्रस्ताव की सभी कंडिकाओं पर अनुपालन उच्चस्तरों को उपलब्ध करायेगें।

निदेशक, पारि. एवं पर्या.

ज्ञापांक:– पारि. एवं पर्या. 01 स्था. (वन भूमि एवं सरकारी गैर भूमि) 11/19– 271 दिनांक:–04-03-22

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पारि. एवं पर्या.

ज्ञापांक:– पारि. एवं पर्या. 01 स्था. (वन भूमि एवं सरकारी गैर भूमि) 11/19– 271 दिनांक:–04-03-22

प्रतिलिपि– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पारि. एवं पर्या.

Abstract of trees that are likely to be affected in NH-80 from KM 93.000 to 121.025

A	Abstract of tree to be cutting							
Sl.No.	Girth Size	0 - 30 cm	31 - 60 cm	61 - 90 cm	91 - 120 cm	121 - 150 cm	>150 cm	Total
1	LHS	150	103	323	220	108	140	1044
2	RHS	180	92	152	170	148	137	879
	Total	**330**	**195**	**475**	**390**	**256**	**277**	**1923**

B	Abstract of tree to be translocate							
Sl.No.	Girth Size	0 - 30 cm	31 - 60 cm	61 - 90 cm	91 - 120 cm	121 - 150 cm	>150 cm	Total
1	LHS	608	262	112	2	0	0	**984**
2	RHS	684	225	82	5	0	0 –	**996**
	Total	**1292**	487	**194**	7	**0**	**0**	**1980**

Total nos. of trees that are likely to be affected in NH-80 = A+ B

1923	+	1980	=	**3903**

04/07/2022

Executive Engineer
N.H. Division, R.C.D., Bhagalpur.

Abstract of trees that are likely to be affected in NH-80 from KM 70.150 to 93.000

A	Abstract of tree to be cutting							
Sl.No.	**Girth Size**	**0 - 30 cm**	**31 - 60 cm**	**61 - 90 cm**	**91 - 120 cm**	**121 - 150 cm**	**>150 cm**	**Total**
1	LHS	14	101	32	25	11	13	196
2	RHS	16	82	25	29	18	15	185
	Total	**30**	**183**	**57**	**54**	**29**	**28**	**381**

B	Abstract of tree to be translocate							
Sl.No.	**Girth Size**	**0 - 30 cm**	**31 - 60 cm**	**61 - 90 cm**	**91 - 120 cm**	**121 - 150 cm**	**>150 cm**	**Total**
1	LHS	15	144	96	40	16	68	**379**
2	RHS	15	173	106	46	24	61	**425**
	Total	**30**	**317**	**202**	**86**	**40**	**129**	**804**

Total nos. of trees that are likely to be affected in NH-80 = A+ B

381	+	804	=	**1185**

25/07/22

Executive Engineer
N.H. Division, Lakhisarai at-Munger

5.7.22